राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2025-26

राजस्व आसूचना एवं
आर्थिक अपराध निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2025-26

राजस्व आसूचना एवं
आर्थिक अपराध निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	उद्देश्य	1-2
3	संरचना	2
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	3
5	कार्य प्रणाली	3-4
6	विशेष चयन नियम	4
7	मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	5
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	5
9	पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण	5-7
10	चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2025 से 31.12.2025) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण	8
11	आलौच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	8-14
12	सार संक्षेप	14
13	पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2025 तक (सारणी–1)	15
14	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी–2)	16

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2025–26

1. प्रस्तावना–

बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के समय की गई घोषणा के बिन्दु संख्या 83 की पालना में वित्त विभाग के अन्तर्गत राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराधों सम्बन्धी कार्यों को सम्मिलित करते हुए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया है। इसका प्रशासनिक विभाग "वित्त (राजस्व) विभाग", शासन सचिवालय, जयपुर तथा मुख्यालय 'जयपुर' है। निदेशालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को विभिन्न विभागों से संबंधित करापवंचन संबंधी मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं।

2. उद्देश्य–

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने एवं आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच एवं अभियोजन के उद्देश्य से किया गया है।

निदेशालय द्वारा मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अंतरराज्यीय व्यापार में करवंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देने के साथ ही आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है।

वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय द्वारा राजस्व आसूचना के उपरोक्त वर्णित कार्यों के साथ–साथ निम्नांकित आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन संबंधी कार्य किये जाने है –

(I) **आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन संबंधी निम्नांकित कार्य–**

i. राजकीय भूमि पर अवैध रूप में कब्जा करना या विक्रय करना,

ii. Real estate कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करना,

iii. मुद्रांक एवं पंजीयन से सम्बन्धित अनियमितताएं,

iv. बैंक, बीमा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, स्टॉक मार्केट, जमा पूंजी एवं ऋण संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करना,

v. झूठा दिवालियापन घोषित करना,

vi. फर्जी कम्पनियों का गठन करना,

vii. सहकारी साख समितियों (Cooperative Credit Societies) सहकारी आवास समितियों (Cooperative Housing Societies) आदि के कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करना,

viii. मल्टी लेवल मार्केटिंग सम्बन्धी धोखाधड़ी या अनियमितता,

ix. फर्जी प्लेसमेन्ट एजेन्सी का गठन या संचालन या मानव संसाधन संबंधी अनियमितता करना,

x. फर्जी दस्तावेजों से नौकरी या प्रवेश संबंधी अनियमितताएं करना

3. **संरचना–**

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में 107 पद स्वीकृत किये गये है। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक/आयुक्त, राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी का पद हैं। निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के स्वीकृत 04 पदों में एक–एक पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा एवं अन्य राज्य सेवा संवर्ग के है। इनके अतिरिक्त निदेशालय में संयुक्त निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी के 10 पदों में एक–एक पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान खनि अभियांत्रिकी सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, अन्य राज्य सेवा तथा 2 पद राजस्व, बैंकिंग या बीमा सेवा से सम्बद्ध कार्मिको के स्वीकृत है। इनके अलावा उपनिदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी के 20 पदों में दो–दो पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान खनि अभियांत्रिकी सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान परिवहन सेवा, राजस्थान सहकारिता सेवा तथा 4 पद अन्य राज्य सेवा संवर्ग के स्वीकृत है।

उपरोक्त पदों के अतिरिक्त एक–एक पद मुख्य लेखाधिकारी, उपविधि परामर्शी, कनिष्ठ लेखाकार, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं प्रोग्रामर के हैं। विधि सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के 2–2 पद तथा सूचना सहायक के 5 पद, वरिष्ठ लिपिक के 12 पद, कनिष्ठ लिपिक के 24 पद, वाहन चालक के 10 पद एवं सहायक कर्मचारी के 12 पद भी सृजित है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का संगठन चार्ट एवं निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी–1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

विभाग में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नहीं है। विभाग में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। राज्य निधि में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि रू 713.02 लाख के विरूद्व आदिनांक 2025 तक 466.07 लाख का व्यय किया गया।

5. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत् रखते हुऐ निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को 'पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस' (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय में कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.drieo.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी. drieo@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है, तथा इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय के पोर्टल पर प्राप्त ऑन–लाईन शिकायतो को सर्वप्रथम एक विशिष्ट पावती क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता हैं, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाती है। निदेशालय स्तर पर शिकायत की जांच कर स्वीकार/अस्वीकार का निर्णय लिया जाता है। उक्त शिकायत को स्वीकार करने की स्थिति मे एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक (PIR) कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता है एवं अस्वीकृति की स्थिति मे शिकायतकर्ता द्वारा पावती क्रमांक के माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर विवरण देखा जा सकता है। दोनो ही स्थितियों की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाती है। अन्य प्रकार से प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. के लिए एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता है तथा सृजित पी.आई.आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है।

पी.आई.आर. का वर्गीकरण– आमजन से प्राप्त अथवा स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज पी.आई. आर. में उक्त निहित विषय प्रकृति सामान्य अथवा गंभीर होती है, प्रकरण की प्रकृति के आधार पर दर्ज पी.आई.आर. को सामान्य अथवा महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है। पी.आई.

आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति/महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है, उनमें निदेशालय द्वारा स्वयं के स्तर पर विस्तृत जॉच की कार्यवाही की जाती है। शेष पी.आई.आर. संबन्धित विभागों में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित कर दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही की सूचना ऑनलाईन ही निदेशालय को भिजवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को निदेशालय की वेब साईट प्रयोग हेतु पृथक–पृथक यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, जिससे कि वे उन्हें प्रेषित की गई पी.आई.आर. पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें, तथा की गई विभागीय कार्यवाही से निदेशालय की वेब साईट को नियमित रूप से अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण पर भी चर्चा की जाती हैं। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई में प्रगति की जानकारी निदेशालय की वेब साईट पर देख सकता है।

निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज करने व निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

6. *निदेशालय में कार्मिकों का चयन*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है,इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये थे। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के वर्ष 2023 में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के रूप में पुनर्गठन के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों के विशेष चयन हेतु राजस्थान सिविल सेवा (राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2023 तैयार किये गये है। जिनका केबिनेट से अनुमोदन होना शेष है।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में स्वीकृत 107 पदों पर राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्त (राजस्व) विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2023 की अनुपालना में समायोजित किया गया है।

7. *मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना*

राज्य सरकार द्वारा राजस्व अपवंचन करने वालों के संबंध में सूचनादाताओं एवं राज्य कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु मुखबिर प्रोत्साहन योजना, 2021 लागू की गई है। योजना में राजस्व अपवंचन (कर चोरी) की सूचना देने पर आम जनता को 10 लाख से अधिक राशि की अविवादित राजस्व वसूली होने पर वसूल किये गये राजस्व के 8 प्रतिशत तक प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के मामलों द्वारा स्वप्रेरणा/शिकायत के प्रकरणों में वसूल किये गये अविवादित राजस्व की राशि न्यूनतम 1 करोड़ या अधिक होने पर टीम को राशि रूपये 2 लाख तक एवं व्यक्तिगत को राशि रूपये 50 हजार प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में सूचनादाता की जानकारी की गोपनीयता बनाये रखने के प्रावधान भी किये गये है। योजना की विस्तृत जानकारी निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है वित्तीय वर्ष 2025–26 में निदेशालय द्वारा आदिनांक तक सूचनादाताओं को प्रोत्साहन राशि शून्य वितरित हुई है।

8. *सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान*

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय द्वारा करापवंचना के संबध में स्वप्रेरणा से अथवा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर जाँच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का संप्रेषण आमजन के माध्यम से भी होता है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप–धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. **पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण–**

पूर्व तीन वित्तीय वर्षों 2022–25 (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2025) में 337 नवीन शिकायती/स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 227 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 1467.70 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 202.25 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025) में 53 नवीन शिकायती/स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 39 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 30.73 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 27.20 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है।

निदेशालय में पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2022–25 (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2025) एवं वित्तीय वर्ष 2025 (दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है–

क्र. स.	विभाग का नाम	01.04.22 से 31.03.25 तक दर्ज पी.आई.आर. का विवरण					
		01.04.22 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पीआईआर की संख्या	निस्तारित पीआईआर की संख्या	शेष पीआईआर की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	192	81	40	233	417.53	588.90
2	परिवहन विभाग	28	18	03	43	17.15	17.15
3	आबकारी विभाग	6	27	14	19	21575.85	822.30
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	208	45	69	184	13619.45	165.66
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	146	42	22	166	62499.17	608.64
6	अन्य	2	0	1	1	0.00	0.00
	योग–अ	**582**	**213**	**149**	**646**	**98129.15**	**2202.65**

क्र. स.	विभाग का नाम	01.04.22 से 31.03.25 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण					
		01.04.22 को शेष प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	202	32	39	195	7809.98	2186.41
2	परिवहन विभाग	56	17	9	64	7225.31	7597.31
3	आबकारी विभाग	2	8	1	9	23117.00	79.05
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	152	61	28	185	10488.96	8080.02
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	40	6	1	45	0.00	79.65
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00
	योग–ब	**452**	**124**	**78**	**498**	**48641.25**	**18022.44**
	महायोग (योग–अ + योग–ब)	**1034**	**337**	**227**	**1144**	**146770.40**	**20225.09**

क्र. स.	विभाग का नाम	01.04.25 से 31.12.25 तक दर्ज पी.आई.आर. का विवरण					
		01.04.25 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पीआई आर की संख्या	निस्तारित पीआईआर की संख्या	शेष पीआईआर की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	233	7	1	239	0.00	0.00
2	परिवहन विभाग	43	3	10	36	4.6	4.6
3	आबकारी विभाग	19	1	5	15	0.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	184	3	9	178	8.68	2.02
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	166	7	0	173	0.00	0.00
6	अन्य	1	0	0	1	0.00	0.00
	योग–अ	**646**	**21**	**25**	**642**	**13.28**	**6.62**

क्र. स.	विभाग का नाम	01.04.25 से 31.12.25 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण					
		01.04.25 को शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	निस्तारित स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	195	16	03	208	882.58	903.65
2	परिवहन विभाग	64	2	5	61	1808.85	1808.85
3	आबकारी विभाग	9	4	0	13	367.88	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	185	9	6	188	0.00	0.39
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	45	1	0	46	0.00	0.00
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00
	योग–ब	**498**	**32**	**14**	**516**	**3059.31**	**2712.89**
	महायोग (योग–अ + योग–ब)	**1144**	**53**	**39**	**1158**	**3072.59**	**2719.51**

चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2025 से 31.12.2025) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक ारण

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 1.04.2024 से 31.03.2025 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 1.04.2025 से 31.12.2025 तक) क्रमशः 28 एवं 32 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान क्रमशः राशि रूपये 345.11 करोड़ तथा रूपये 30.59 करोड़ की मांग कायम की गई तथा क्रमशः राशि रूपये 111.63 करोड़ तथा रूपये 27.13 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक) क्रमशः 47 एवं 21 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान क्रमशः राशि रूपये 511.85 करोड़ तथा रूपये 13.28 लाख की मांग कायम की गई तथा क्रमशः राशि रूपये 2.52 करोड़ तथा रूपये 6.62 लाख की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) कुल 75 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 856.96 करोड़ की मांग कायम की जाकर राशि रूपये 114.15 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में (01.04.2025 से 31.12.2025 तक) कुल 53 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर राशि रूपये 30.73 करोड़ की मांग कायम की जाकर राशि रूपये 27.20 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलौच्य अवधि में 39 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. ***आलौच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल***

(i) <u>वाणिज्यिक कर विभाग–</u>

- आलोच्य वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) में माह दिसम्बर, 2025 तक वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को निम्नलिखित राजस्व प्रतिवेदन एवं प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये –

  प्रतिवेदन :–

  1. राज्य के करदाताओं के जीएसटीएन पोर्टल से विवरणियों का विश्लेषण किया गया जिसमें 10703 करदाताओं द्वारा डेफर्ड आउट सप्लाई पर ब्याज की देयता की पालना नहीं की गई। 10703 पंजीकृत करदाताओं द्वारा डेफर्ड आउट सप्लाई पर रूपये 247.67 करोड के ब्याज की देयता होने पर भी ब्याज की राशि राजकोष में नहीं जमा कराई गई का प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को प्रेषित किया गया। उक्त प्रकरणों में 9.56 करोड का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

  2. राज्य में संचालित अपंजीकृत खनिज पट्टा धारकों द्वारा खनिज विभाग में जमा रॉयल्टी राशि पर कर देयता प्रतिलोम प्रभार (RCM) का विश्लेषण किया गया। जिसमें 320 अपंजीकृत खनिज पट्टा धारको की पहचान कर पंजीयन अनिवार्यता निर्धारित की गई। प्रकरण में राज्य सरकार को रॉयल्टी एवं डीएफएमटी मद में

लगभग कुल राशि रूपये 290.05 करोड का भुगतान किया गया जिस पर प्रतिलोम प्रभार (RCM) अनुसार कर जमा नहीं कराये जाने के कारण देयता निर्धारित कर वसूली योग्य अनुमानित राजस्व कुल राशि रूपये 52.20 करोड निहित है, का प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

3. राज्य में संचालित Goods Transport Agencies द्वारा प्रस्तुत GSTR-2B और GSTR-3B विवरणियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसमें एक विशेष प्रारूप सामने आया कि उक्त Goods Transport Agencies की 12 प्रतिशत कर दर से प्राप्त आन्तरिक प्रद्राय के सेवा प्रदाता अधिकांश लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी। चूंकि CGST/RGST Act, 2017 ds Notification No. 12/2017 – Central Tax (Rate) dated 28/06/2017 के अन्तर्गत GTA to GTA Service कर मुक्त है। CGST/RGST Act, 2017 की धारा 16(2)(B) के अनुसार वस्तु या सेवा की वास्तविक आपूर्ति न होने पर ITC देय नहीं है। इस प्रकार राज्य में संचालित 40 परिवहन प्रदाताओं/ऑपरेटर्स की पहचान कर राशि रूपये 83.17 करोड का आगत कर का अविधिक रूप से उपयोग का प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया गया।

- आलोच्य अवधि में निम्न महत्वपूर्ण प्रकृति के करापवंचन प्रकरण अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये –

प्रकरण :–

1. मैसर्स प्रेम मोटर्स, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक केन्द्रिय/राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16(2)(b) के अनुरूप आगत कर कुल राशि रूपये 20.06 करोड का अविधिक रूप से उपयोग किया जाना पाया गया।
2. भांग अनुज्ञाधारी श्री सौरभ मेहरा, कोटा द्वारा (आबकारी विभाग में कुल राशि रूपये 5.13 करोड अनुज्ञा राशि के रूप में जमा किये गये।) राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीयन दायित्व होने के उपरांत पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में करापवंचन कुल राशि रूपये 25.68 लाख का प्रकरण बनाया गया।

(ii) **खान एवं भू–विज्ञान (1 अप्रैल, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025)** – वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के खान शाखा (राजस्व आसूचना अधिकारी–5) द्वारा कर अपवंचना से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी।

निदेशालय की खान शाखा (राजस्व आसूचना अधिकारी–5) द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर जैसलमेर, डीडवाना–कुचामन, कोटपुतली एवं नीम का थाना, सीकर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन एवं रवन्ना के दूरूपयोग संबंधी कुल 4 पीआईआर प्रकरण दर्ज किए गए।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राजस्व आसूचना अधिकारी–7 (खान) के अन्तर्गत कुल 4 पीआईआर दर्ज की गई। इन पीआईआर में एक पीआईआर कोटपूतली क्षेत्र में खनिज मेसेनरी स्टोन के अवैध खनन एवं उस पर उचित जीएसटी की दृष्टि से खनन क्षेत्र का दोरा किया गया था।

एक पीआईआर कोलायत, बीकानेर क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन से संबंधित शिकायत पर दर्ज की गयी थी। अग्रिम जांच खान विभाग द्वारा की जा रही है।

सूरतगढ़, श्री गंगानगर क्षेत्र में खनिज जिप्सम के अवैध खनन से संबंधित एक शिकायत दर्ज की गयी थी, जिस पर अग्रिम जांच खान विभाग द्वारा की जा रही है।

नीम का थाना, सीकर क्षेत्र में चार खानों में खनिज चेज़ा पत्थर के अवैध खनन एवं एक बन्द खान में अवैध खनन से संबंधित शिकायत पर पीआईआर दर्ज की गयी।

इसके अतिरिक्त निदेशालय में विभागीय टेक्नीकल सपोर्ट यूनिट की सहायता से अनियमित ई–रवन्ना एवं टीपी पर जांच की जा रही है।

(iii) **परिवहन** – वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 01.04.2025 से 12.12.2025 तक कुल 4 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 2 प्रकरण बिना कर चुकाये संचालित वाहनों से संबंधित है एवं 2 प्रकरण अन्य राज्यो के राजस्थान राज्य में बिना कर चुकाये संचालित वाहनो से संबंधित है। इस अवधि में पुराने बकाया प्रकरणों मे कुल राजस्व रूपये 1813.45 लाख प्राप्त हुआ।

उक्त अवधि में परिवहन विभाग एवं खान एवं भू–विज्ञान विभाग के डेटा विश्लेषण द्वारा राज्य में बिना कर चुकाये संचालित भार वाहनों की पहचान की गई तथा इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट "Report on identification of tax defaulter goods vehicles on the basis of E- rawanna and E-way bills" बनाकर परिवहन विभाग को भेजी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्रकरण से 83.11 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है।

(iv) **पंजीयन एवं मुद्रांक** – वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 15.12.2025 तक निदेशालय के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 7 प्रकरण महत्वपूण प्रकृति के है। उक्त 7 प्रकरणों में 6 प्रकरण स्वप्रेरित है, जिनमें एक प्रकरण जो कि मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेन्ट के समामेलन (Amalgamation) से सम्बन्धित है, पर मुद्रांक कर देयता का निर्धारण करने हेतु निदेशालय स्तर पर प्राथमिक जांच हेतु विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त M/S Bikaji Foods International Limited and M/S Vindhyawasini Sales Private Limited के समामेलन (Amalgamation) से सम्बन्धित प्रकरण में निदेशालय स्तर पर मुद्रांक कर देयता का निर्धारण करने हेतु प्राथमिक जांच विचाराधीन है।

उप–पंजीयक कार्यालय, झुंझुनू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रकरण में मुद्रांक कर अपवंचना तथा राजस्व चोरी से संबंधित है। निदेशालय द्वारा गठित जांच दल द्वारा यह पाया गया कि उप–पंजीयक झुंझुनूं ने नियम विरूध कार्य कर के करापवंचना की है। निदेशालय स्तर पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए एक तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु विभागीय नोडल अधिकारी (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग), अजमेर को प्रेषित की गयी है।

वित्तीयवर्ष 2025–26 में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 15.12.2025 तक निदेशालय के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में दर्ज प्रकरणों में समायोजन सहित वसूली गयी कुल राशि रु. 11.58 लाख है।

निदेशालय के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2025 तक दर्ज स्वप्रेरित पीआईआर प्रकरणों में कुल राशि रु. 11138.42 लाख आरोपित की गयी, जिसमें उक्त अवधि में समायोजन सहित वसूली गयी कुल राशि रु. 8117.39 लाख है।

निदेशालय के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2025 तक दर्ज शिकायती प्रकरणों पर आधारित पीआईआर में कुल राशि रु. 12746.31 लाख आरोपित की गयी, जिसमें उक्त अवधि में समायोजन सहित वसूली गयी कुल राशि रु. 174.60 लाख है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में निदेशालय के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा शिकायती एवं स्वप्रेरित प्रकरणों में से कुल 15 पीआईआर का निस्तारण किया गया।

(v) **आबकारी** – निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गये जिनमें से 7 महत्त्वपूर्ण प्रकृति के हैं। वर्ष 2024–25 के अंत में कुल 28 प्रकरण लंबित थे। निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा दर्ज प्रकरणों में आबकारी विभाग से मिली सूचना अनुसार वर्ष 2024–25 में लगभग 2.02 करोड रू. की राजस्व की प्राप्ति हुई।

निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा वर्ष 2025–26 के दौरान 31 दिसम्बर 2025 तक कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गये हैं जिनमें से 4 महत्त्वपूर्ण एवं 1 सामान्य प्रकृति के हैं। निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर तक 7 प्रकरणों को बंद/निस्तारित किया गया है। 31 दिसम्बर 2025 को कुल 26 प्रकरण लंबित हैं। दर्ज प्रकरणों में लगभग 3.68 करोड रू. की कर अपवंचना मूल्यांकित की गई हैं।

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68 के उपनियम 3 और 3एए के तहत आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त इकाईयों की कार्यप्रणाली एवं इनके द्वारा आबकारी नियमों की पालना के संबंध में अध्ययन किया और पाया कि इकाई में ईएनए की प्राप्ति एवं खपत पर प्रभावी विनियमन और नियंत्रण का अभाव है। ई.एन.ए. के नियमन, खपत परं नियंत्रण एवं दुरूपयोग (अवैध मदिरा निर्माण आदि) की संभावना को समाप्त करने के क्रम में निदेशालय की मूल अध्ययन रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक ने आबकारी आयुक्त को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रांक 659 दिनांक 17.07.2025 से प्रेषित की गई है।

आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025–2029 की बिन्दु संख्या 7.2 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2025 की अनुपालना के संदर्भ में निदेशालय टीम द्वारा किए गए रैंडम सर्वे में जयपुर में 11 ऐसे होटल बार अनुज्ञाधारी मिले जिनके होटल परिसर में 11 ऐसी अन्य इकाइयों के रेस्टोरेंट अनुबंध पर संचालित होते पाये गये जिनके द्वारा उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना में निर्धारित होटल बार लाईसेंस

फीस जमा कराये बिना ही बार काउंटर खोल कर मदिरा विक्रय/सर्व किया जा रहा है। इन 11 इकाईयों के रेस्टोरेंटों के द्वारा होटल बार लाईसेंस लेना आवश्यक है जिनकी कुल वार्षिक लाईसेंस फीस 98.50 लाख रूपये वसूलनीय है।

अनुबंध पर रेस्टोरेंट संचालित कर रही 4 इकाईयों में कुल 5 अतिरिक्त बार काउंटर संचालित होने के कारण इन इकाईयों से होटल बार अनुज्ञापत्र फीस के साथ वार्षिक अतिरिक्त बार काउंटर फीस की कुल राशि 3.55 लाख रूपये वसूलनीय है।

निदेशालय टीम द्वारा किए गए रैंडम सर्वे में 8 होटल बार अनुज्ञाधारियों के द्वारा नियमानुसार प्रति अतिरिक्त बार काउंटर वार्षिक फीस राजकोष में जमा नहीं करा आबकारी विभाग की स्वीकृति लिये बिना अपने होटल परिसर में कुल 12 अतिरिक्त बार काउंटर संचालित किये जाना पाया गया जिनकी कुल अतिरिक्त बार काउंटर वार्षिक फीस 10.60 लाख रूपये वसूलनीय है।

राज्य में ऐसे अनेक होटल बार लाइसेंसधारियों के होने की प्रबल संभावना है, जो नियमानुसार अतिरिक्त बार काउंटर वार्षिक फीस नहीं जमा करवा कर आबकारी विभाग की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त बार काउंटर संचालित कर रहे हो तथा जिन्होनें अपने परिसर के एक/एक से अधिक भाग ऐसी अन्य इकाई/इकाइयों के रेस्टोरेंटस को अनुबंध पर दे रखे हो एवं जो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2025 की पालना में होटल बार लाइसेंस नहीं लेकर आबकारी विभाग को होटल बार लाइसेंस फीस के राजस्व की हानि पहुंचा रहे हो। अतः निदेशालय की मूल सर्वे रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक ने आबकारी आयुक्त को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रांक 661 दिनांक 17.07.2025 से प्रेषित की है।

निदेशालय को माह अप्रैल एवं मई 2025 में राज्य के अनेक मदिरा अनुज्ञाधारियों द्वारा अपनी मदिरा दुकानों पर देशी मदिरा के लिए निर्धारित गारंटी राशि पेटे आई.एम.एफ.एल., बीयर आदि का उठाव किया जाने पर भी आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025–29 की बिन्दु संख्या 2.13.6 के प्रावधान अनुसार देशी मदिरा की गारंटी राशि के पेटे उठाई गई आई.एम.एफ.एल, बीयर आदि पर इस राशि पेटे उठाई जा सकने वाली 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) के लिये अनिवार्य रूप से जमा होने वाली निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की राशि राजकोष में जमा नहीं कराई जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर राज्य के 35 आबकारी जिलों में माह अप्रेल एवं मई 2025 में देशी मदिरा की निर्धारित गारंटी राशि पेटे उठाई गई आईएमएफएल/बीयर आदि पर इस राशि पेटे उठाई जा सकने वाली 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) के लिये अनिवार्य रूप से जमा होने वाली निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की कुल राशि रूपये 1,39,56,467.48/– राजकोष में जमा कराने तथा आगे भी देशी मदिरा की गारंटी राशि के पेटे उठाई गई आईएमएफएल, बीयर आदि पर अनिवार्य रूप से इस राशि पेटे उठाई जा सकने वाली 50 यूपी देशी मदिरा पेट पात्र के लिये निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की राशि राजकोष में नकद नियमित रूप से जमा करवाने के लिए निदेशालय ने आबकारी आयुक्त को पत्रांक 839 दिनांक 27.08.2025 प्रेषित किया है।

जयपुर के टोंक रोड पर जयपुर सेन्ट्रल बिल्डिंग की सातवी मंजिल एवं रूफ टोप पर संचालित हो रहे रेस्टोरेंट ओसलो क्लब द्वारा आबकारी विभाग से लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बार संचालित करते हुए मदिरा पान/विक्रय कराया जाने तथा इस रेस्टोरेंट के परिसर में भारी मात्रा में अवैध रूप से मदिरा/बीयर का भंडारण विक्रय के लिये करने के संदर्भ में निदेशालय टीम द्वारा की गई जांच एवं सूचना पर दिनांक 03.09.2025 को रेस्टोरेंट ओसलो क्लब से 1046 बीयर की बोतलें,13 अंग्रेजी शराब व्हिस्की की बोतलें और एक JagerMeister ब्राण्ड की शराब की खुली बोतल बरामद हुई तथा आबकारी विभाग द्वारा आबकारी वृत्त जयपुर दक्षिण पूर्व में अभियोग संख्या 31/2025–26 दर्ज किया गया।

वर्ष 2024–25 में दर्ज पी.आई.आर. 17032025004262 के संदर्भ में आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य में प्रदत्त किये गये माईक्रो ब्रुवरी अनुज्ञप्तिधारी रिटेल ऑन इकाईयों की निदेशालय द्वारा प्रमाणित सूचनाओं को एकत्रित कर विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि राज्य में अधिकतर माइक्रो ब्रुवरीज के द्वारा आबकारी आयुक्त के पत्रांक प.32 (बी) (359) आब / एल / 71–ग/340 दिनांक 28.09.2021 में Brew Cycle 28 दिन अनुसार होने के निर्देश की अवहेलना करते हुए 30 दिन की Brew Cycle निर्धारित करते हुए, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह में 30 दिन होना परिकल्पित करते हुए आबकारी ड्यूटी जमा करवाई जा रही है और कर अपवंचना की जा रही है। अधिकतर माइक्रो ब्रुवरीज के द्वारा राजस्थान ब्रुवरी नियम, 1972 के नियम 5। के उपनियम 10 (The licensee shall have to deposit duty in advance per month on beer as per installed capacity of Microbrewery whether the production of beer is as per installed capacity or not in particular month) की पालना भी नहीं की जा रही है। निदेशालय ने प्रकरण से संबंधित राज्य के माईक्रो ब्रुवरी अनुज्ञाधारियों से कुल बकाया आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र राशि रू0 1,15,66,167.82/– (नियमानुसार विलम्ब शुल्क/ ब्याज) को जमा करवाने एवं प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए आबकारी आयुक्त को पत्रांक 693 दिनांक 28.07.2025 तथा पत्रांक 1026 दिनांक 25.09.2025 प्रेषित किया है।

वर्ष 2024–25 में दर्ज पी.आई.आर. 22102024004218 के संदर्भ में राज्य के समस्त भांग समूहों के संबंध में आबकारी विभाग से प्राप्त प्रमाणित सूचना का निदेशालय द्वारा विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ है कि राज्य में भांग समूहों के अनुज्ञाधारियों द्वारा आबकारी विभाग से परमिट जारी करवा रिटेल दुकानों पर आपूर्ति की गई भांग की मात्रा, आबकारी विभाग के रिकॉर्ड अनुसार रिटेल दुकानों पर बिक्री की गई भांग की मात्रा तथा समूह की रिटेल दुकानों पर भांग की प्रचलित खुदरा दर के आधार पर भांग बेचकर प्राप्त राशि से भांग समूह के अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने भांग समूह की मासिक किश्ते जमा कराया जाना संभव नहीं है। राज्य के भांग समूहों के अनुज्ञाधारियों द्वारा थोक गोदाम पर भांग की आमद/प्राप्ति/खरीद तथा थोक गोदाम से रिटेल दुकानों के लिये भांग की आपूर्ति/विक्रय के ऑकडों को सही नहीं दर्शाया जा रहा है जिसके कारण आबकारी विभाग को परमिट फीस आदि की तथा वाणिज्यिक कर विभाग को जी. एस.टी. की राजस्व हानि हो रही है। निदेशालय द्वारा किए गये उक्त विश्लेषण की

प्रमाणिकता की जॉच के क्रम में नमूने के रूप में निदेशालय टीम द्वारा भांग समूह जयपुर के अनुज्ञाधारी के आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत थोक गोदाम, अंबाबाडी जयपुर निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन करने पर थोक गोदाम अंबाबाडी पर भांग का स्टॉक आबकारी विभाग के रिकार्ड अनुसार 7979 किलोग्राम नहीं हो कर 2338 किलोग्राम कम 5641 किलोग्राम मिला। भांग समूह जयपुर की वित्तीय वर्ष 2024–25 की फरवरी माह तक की कुल मासिक किश्तों का योग रूपये 3,87,34,934 था और उसके भुगतान के लिये आबकारी विभाग में रिटेल दुकानों पर अनुज्ञाधारी द्वारा दिये बिक्री के आंकडो के अनुसार अनुज्ञाधारी को भांग की रिटेल विक्रय दर न्यूनतम लगभग रू0 16,344 प्रति किलोग्राम रखनी आवश्यक है जबकि सर्वेक्षण में जयपुर भांग समूह के ग्रामीण क्षेत्र में अनुज्ञाधारी द्वारा भांग रू0 600 प्रति किलोग्राम तथा शहरी क्षेत्र में भांग रू0 1700 प्रति किलोग्राम तक रिटेल दुकानों पर बेची जाती मिली। आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में अनुज्ञाधारी द्वारा प्रदर्शित ऑकडों के अनुसार भांग समूह जयपुर की रिटेल दुकानों पर भांग की प्रचलित रिटेल दर के आधार पर इस अवधि की कुल लाईसेंस फीस की केवल लगभग 7.03 प्रतिशत तक ही राशि अनुज्ञाधारी द्वारा जमा राज कराई जा सकती थी। अतः निदेशालय की मूल विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट एवं जॉच प्रतिवेदन श्रीमान महानिदेशक ने आबकारी आयुक्त को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रांक 217 दिनांक 06.05.2025 से प्रेषित की है।

12. ***सार संक्षेप***

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महत्ती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

सारणी – 1

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, जयपुर

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	1	-	1
2.	अतिरिक्त निदेशक –			
	1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा	1	-	1
	2. राजस्थान पुलिस सेवा	1	-	1
	3. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	1	1	-
	4. अन्य राज्य सेवा	1	-	1
3.	संयुक्त निदेशक एव राजस्व आसूचना अधिकारी –			
	1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा	1	-	1
	2. राजस्थान पुलिस सेवा	1	-	1
	3. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	1	1	-
	4. राजस्थान आबकारी सेवा	1	1	-
	5. राजस्थान खनिज अभियांत्रिकी सेवा	1	1	-
	6. राजस्थान लेखा सेवा	1	-	1
	7. राजस्थान सहकारिता सेवा	1	-	1
	8. अन्य राज्य सेवा	1	1	-
	9. राजस्व, बैंकिग या बीमा सेवा से सम्बद्ध कार्मिक	2	1	1
4.	उप निदेशक एव राजस्व आसूचना अधिकारी –			
	1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा	2	-	2
	2. राजस्थान पुलिस सेवा	2	-	2
	3. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	2	1	1
	4. राजस्थान आबकारी सेवा	2	2	-
	5. राजस्थान खनिज अभियांत्रिकी सेवा	2	-	2
	6. राजस्थान लेखा सेवा	2	1	1
	7. राजस्थान परिवहन सेवा	2	2	-
	8. राजस्थान सहकारिता सेवा	2	1	1
	9. अन्य राज्य सेवा	4	4	-
5.	मुख्य लेखाधिकारी	1	-	1
6.	उप विधि परामर्शी	1	-	1
7.	विधि सहायक	2	2	-
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	-
9.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	1	1	-
10.	प्रोग्रामर	1	1	-
11.	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1
12.	सूचना सहायक	5	3	2
13.	वरिष्ठ लिपिक	12	1	11
14.	कनिष्ठ लिपिक	24	1	23
15.	सहायक कर्मचारी	12	-	12
16.	वाहन चालक	10	3	7
		107	**31**	**76**

सारणी – 2

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर	
			ऑफिस	मोबाईल नं.
1.	श्री कुमार पाल गौतम (आई.ए.एस.)	महानिदेशक (अतिरिक्त कार्यभार)	2744781	9414016226
2.	श्री नथमल डिड़ेल (आई.ए.एस.)	अति. निदेशक (प्रशासन) (अतिरिक्त कार्यभार)	2740889	8875777470
3.	श्रीमती अनिता कक्कड़	अतिरिक्त निदेशक, राज. वा.कर.सेवा		9414059738
4.	श्री सतीश कुमार	संयुक्त परिवहन आयुक्त		9414257713
5.	श्री योगेश कुमार बैरवा	संयुक्त निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा)		9413002879
6.	श्री दिनेश कुमार विजय	सिस्टम एनालिस्ट		9414255201
7.	श्री पवन कुमार रोयल	संयुक्त निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (वाणिज्यिक कर)		9785457429
8.	श्री संजय सिंह दूलर	संयुक्त निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (आबकारी)		9462695723
9.	श्री सहदेव सिंह रत्नू	उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (आबकारी)		9414431249
10.	श्रीमती कुमुद पालीवाल	उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (वाणिज्यिक कर)		9414454510
11.	श्री सिद्धार्थ राजोरिया	उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा)		9971188309
12.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक		9782363860
13.	श्री विपुल व्यास	मोटर वाहन निरीक्षक		9413341717
14.	श्री सुरेश तिवाड़ी	प्रोग्रामर		9462064965
15.	श्री यागेश कुमावत	प्रोग्रामर		9413768503
16.	श्री नरपत सिंह गौड़	कनि. वाणि. कर अधिकारी		7597667943
17.	श्रीमती कीर्ति शर्मा	कनि. वाणि. कर अधिकारी		8233375110
18.	श्रीमती कीर्ति तिवाड़ी	निरीक्षक आबकारी ग्रेड–1		8824984419
19.	श्रीमती निर्मला चौधरी	निरीक्षक आबकारी		8619167309

PABX –0141-2744963/Toll Free No. 1800 180 6292
Fax No. 0141-2744841

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस भवन,

छठा–सातवां तल, झालाना, जयपुर

ई–मेल : drieo@rajasthan.gov.in